



CIN-U40108CT2003SGC015820

GST No. – 22AADCC5773E1ZX

**CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY
LIMITED**

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(C.G. Govt. Undertaking) (छत्तीसगढ़ भासन का एक उपक्रम)

CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE: RAIPUR

छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेशन केन्द्र, रायपुर

दूरभाष PHONE: 0771-2574172,

Web Site: www.sldccg.com

फैक्स FAX NO. 0771-2574174.

email: ra.sldc@sldccg.com

PUBLIC NOTICE

In compliance to the relevant provisions of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2021, Chhattisgarh State Load Despatch Center has submitted a petition for approval of Capital investment Plan before the Commission for FY 2025-26. The petition has been registered as petition no. 101/2024. The estimated Capital Expenditure proposed by SLDC under this Capital Investment Plan (CIP) is as given below: -

Capital Investment Plant	Amount in Crores
FY 2025-26	113.66

Copies of the petition are available at Chhattisgarh State Electricity Regulation Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur and State Load Despatch Center's Office at Dangania, Raipur, which can be obtained on any working day on payment of Rs. 100/-. The same may also be obtained by post on payment of additional charge of Rs. 50/-. Copy of this notice and the petition are also available on website www.cserc.gov.in.

Objections/suggestions relating to the petition may sent to the office of Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Regulation Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur and/or Executive Director, SLDC at Dangania, Raipur within 21 days of the date of publication of this notice. Objections /suggestions may also be sent to email cserc.sec.cg@nic.in. The Commission shall also conduct public hearing on the above petition for which place, date and time shall be notified separately through newspaper.

**Executive Director
SLDC, CSPTCL Raipur**



CIN-U40108CT2003SGC015820
GST No. – 22AADCC5773E1ZX

CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(C.G. Govt. Undertaking) (छत्तीसगढ़ भासन का एक उपक्रम)

CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE: RAIPUR

छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, रायपुर

दूरभाष PHONE: 0771-2574172,
2574174.

फैक्स FAX NO. 0771

Web Site: www.sldccg.com

[email:](mailto:)

Ref: 03-02/SLDC/

Raipur, Dated:

आम-सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2021, के प्रावधानों के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान के अनुमोदन हेतु याचिका छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस याचिका को याचिका क्रमांक 101/2024 के रूप में पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पूँजी निवेश योजना (केपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान) मद में वर्ष 2025-26 में व्यय की जाने वाली अनुमानित राशि निम्नानुसार है :-

छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC, CSPTCL) पूँजी निवेश योजना (Capital Investment Plant) (सभी राशि करोड़ रुपये में)(all figures in Crores)	प्रस्तावित पूँजीगत व्यय
FY 2025-26	113.66

उपरोक्त याचिका की प्रतियां छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग, न्यू शांति नगर, रायपुर के कार्यालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, डंगनिया, रायपुर उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवस में रु 100/- का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रु. 50/- (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति राज्य भार प्रेषण केन्द्र की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

उपरोक्त याचिका पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक पक्षकार अपनी आपत्ति/सुझाव इस आम सूचना के जारी होने के 21 दिन के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, न्यू शांति नगर, रायपुर एवं/या कार्यपालन निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, डंगनिया, रायपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आपत्ति/सुझाव दर्ज कराने वाले पक्षकारों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई में सम्मिलित होने का अवसर दे सकता है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

कार्यापालक निदेशक
राज्य भार प्रेषण केन्द्र
छ.ग.रा.वि.ट्रांस.कं.लि., रायपुर